

Not Press
Tajal

12-3-18

पणवली पेशवाई वकील नारी ने 7-1-1810
पत्र को आगे नहीं बढ़ाते हेतु विवेक किया
है एवं इसबाबत वकील नारी ने Not Press
में लिखा है अतः Not Press में नारी का
7-1-1810 पत्र खारिज किया गया। पणवली
पेशवाई नुमांदा एकर नुमांदा से एक ही
आदेश रखते न्यायलय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकाारी
सौकर लेक